संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा –2018

सीटिंग प्लान का प्रारूप

केन्द्र संख्या [| | |] केन्द्र का नाम ....

सीटिंग प्लान (संयुक्त)

क्रम संख्या	कक्ष संख्या	अनुक्रमांक से	अनुक्रमांक तक	कक्ष परिनिरीक्षकों के नाम व हस्ताक्षर

निरन्तर, सभी कक्ष समाप्त होने तक

नोट :– उपरोक्त प्रारूप संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को भेजा जाये। विद्यालय/संस्था में विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने वाले संयुक्त सीटिंग प्लान से कक्ष निरीक्षकों के नाम व हस्ताक्षर का कालम हटा दिया जाये।

केन्द्र अधिकारी के हस्ताक्षर व नाम ....

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर व नाम ....

केन्द्र का नाम व मुहर

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा –2018

मूवमेन्ट चार्ट

केन्द्र संख्या | | | | | केन्द्र का नाम ....

क्रं0 सं0	अभ्यागत का नाम	पदनाम	समय व हस्ताक्षर	टिप्पणी

केन्द्र अधिकारी के हस्ताक्षर व नाम ....

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर व नाम ....

केन्द्र का नाम व मुहर

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) –2018

केन्द्र अधीक्षक (**C.S.**) के लिये निर्देश

परीक्षा केन्द्र के समस्त प्रशासनिक व परीक्षा सम्बन्धी दायित्व उस केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक के होगें। केन्द्र अधीक्षक उस विद्यालय/संस्था के प्रधानाचार्य/समकक्ष होंगे। परीक्षा संचालन तथा अनुशासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भी केन्द्र अधीक्षक वहन करेंगे। केन्द्र अधीक्षक परीक्षा केन्द्र को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा अवधि में नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा केन्द्र पर किसी कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या होने पर वह स्थानीय प्रशासन व जोनल अधिकारी को तुरन्त सूचित करेंगे। स्थानीय प्रशासन को केन्द्र अधीक्षक परीक्षा तिथियों से अवगत कराते हुए पत्र/व्यक्तिगत सम्पर्क अवश्य कर लें।

1. (अ) केन्द्र अधीक्षक परीक्षा संचालन या परिनिरीक्षण हेतु अध्यापकों को पद 1(ब) में दिये गये प्रतिबन्धों के साथ नियुक्त करेंगे। ऐसे चुने गये अध्यापक सक्षम तथा जिम्मेदार व्यक्ति होने चाहिए तथा उन्हें सामान्यतः बदला न जाये। वे परीक्षाकाल में केन्द्र अधीक्षक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। केन्द्र अधीक्षक (यदि संस्था के प्राचार्य नहीं) अपनी संस्था के प्राचार्य/उस संस्था के प्राचार्य जहाँ से वे विशेष परिनिरीक्षक एवं परिनिरीक्षक ले रहें हैं एवं सम्बन्धित केन्द्र अधिकारी, जोनल अधिकारी से विचार–विमर्श कर आवश्यक विशेष परिनिरीक्षकों एवं परिनिरीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

   (ब)विशेष परिनिरीक्षकों एवं परिनिरीक्षकों की नियुक्ति जोनल अधिकारी/केन्द्र अधिकारी की सहमति से करें तथा यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद या प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया हो, को विशेष परिनिरीक्षक/परिनिरीक्षक नियुक्त न किया जाये।विशेष परिनिरीक्षक की नियुक्ति केन्द्र अधीक्षक के द्वारा संस्था के वरिष्ठ अध्यापकों में से की जाती है।

   (स) जहाँ तक सम्भव हों ऐसे कक्ष परीक्षा हेतु चुने जाने चाहिए जिनमें लगभग 40 परीक्षार्थी बैठ सकें। यदि परीक्षा के लिए बड़े कक्षों का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक हो तो ऐसे कक्षों में 60 परीक्षार्थी से अधिक नहीं होने चाहिए। उन कक्षों में जहाँ पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 40 हो वहाँ दो परिनिरीक्षक तथा जहाँ 40 से अधिक हो वहाँ प्रत्येक 20 परीक्षार्थी या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त परिनिरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए।
2. केन्द्र अधीक्षक से अनुरोध है कि संलग्न पावती पत्रभरकर लौटती डाक से परिषद कार्यालय भेज दें।
3. प्रत्येक परीक्षार्थी के बैठने के लिए एक निश्चित स्थान होगा तथा उसकी डेस्क पर एक स्लिप जिस पर अभ्यर्थी का अनुक्रमांक लिखा हो, संस्था द्वारा चिपकायी जानी है। प्रत्येक परीक्षार्थी हेतु 2.5 वर्गमीटर जगह होनी चाहिए। एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी के स्थान के बीच यथासम्भव 2 मीटर का स्थान दायें से बायें होना चाहिए।प्रत्येक परीक्षार्थी को अलग–अलग डेस्क या मेज और कुर्सी बैठने के लिए मिलनी चाहिए। दो परीक्षार्थियों के मध्य आवश्यक स्थान होना चाहिए तथा परीक्षार्थियों को एक ही मेज के दो सिरों पर नहीं बैठाना चाहिए।
4. परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था का संयुक्त सीटिंग प्लान (**Combined Seating Plan**) परीक्षा केन्द्र के प्रमुख स्थानों पर एक दिन पूर्व प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रत्येक परीक्षा कक्ष के द्वार पर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गई कक्षवार सीटिंग प्लान के अनुरूप परीक्षार्थियों का सीटिंग प्लान प्रदर्शित होगा व उस कक्ष की फाइल में उपलब्ध रहेगा। परीक्षा केन्द्र का सीटिंग प्लान (संयुक्त, कक्ष अनुसार) केन्द्र अधिकारी से प्रमाणित करवाया जाये। स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी सीटिंग प्लान अवलोकित कराते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण करवा दें।
5. जोनल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर परीक्षा से एक या दो दिवस पूर्व केन्द्र अधिकारी की उपस्थिति में केन्द्र अधीक्षक, सहायक केन्द्र अधीक्षक, विशेष परिनिरीक्षक व परिनिरीक्षक हेतु एक प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा के प्रति जिम्मेदारी व उनको दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जायेगा।
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की प्रवेश परीक्षा 22 अप्रैल, 2018 को दो पालियों में होना निश्चित हुआ है :–

प्रथम पाली (ग्रुप–**A**)	प्रातः 9:00 बजे से 12:00 बजे तक
द्वितीय पाली (अन्य ग्रुप)	अपरान्ह 2:30 बजे से 5:30 बजे तक

7. केन्द्र अधीक्षक को उनके केन्द्र पर जोनल अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री हस्तगत करायी जायेगी, इस कार्य के समय केन्द्र अधिकारी की उपस्थिति भी अनिवार्य रहेगी। केन्द्र अधीक्षक द्वारा गोपनीय सामग्री का पैकेट अपने सामने खुलवाने के पश्चात प्रश्न–पत्रों के सील पैकेट को खुलवाने व कक्षवार लगवाने की कार्यवाही पूर्ण करायें, इस दौरान केन्द्र अधिकारी की उपस्थिति भी अनिवार्य है। उत्तर चार्टों के पैकेटों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 45 मिनट पहले खोला जाना है। आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम ग्रुप, पालीवार केन्द्र में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार एक या एक से अधिक सील्ड पैकेट परीक्षा के दिन केन्द्र अधिकारी/जोनल अधिकारी से प्राप्त होंगे। आप यह सुनिश्चित कर लें कि पैकेट सील्ड हो तथा कटा–फटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप सील्ड पैकेट को केन्द्र अधिकारी, सहायक केन्द्र अधीक्षक